राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227033, 2227725)

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / 6341 जयपुर, दिनांक 11/02/22

(आदेश संख्या 83 / 2022)

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषयः– वर्ष 2019–20 की शेष बची समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराने की अग्रिम तैयारियों के संबंध में ।

नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः क्रमांक एफ.61(64)SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / 6236–57 दिनांक 09.02.2022 एवं समसंख्या आदेश क्रमांकः 6267–87 दिनांक 10.02.2022 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा चुके है और वर्ष 2019–20 में नियमित सामाजिक अंकेक्षण होने से बकाया रही प्रत्येक पंचायत समिति में से दो ग्राम पंचायतों के लिए जारी किये गये कलैण्डर्स नरेगा सोफ्ट पर अपलोड किये गये है।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2019–20 में उक्त आदेशों के अन्तर्गत जारी कलैण्डर्स के बाद नियमित सामाजिक अंकेक्षण होने से बकाया रही समस्त जिलो की समस्त पंचायत समितियों की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों के लिए नियमित सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर्स माह मार्च, 2022 के तृतीय सप्ताह के लिए जारी किये जाकर ग्रामीण विकास विभाग (MORD), भारत सरकार (GOI) के नरेगा सोफ्ट पोर्टल पर अपलोड करवाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019–20 में जो ग्राम पंचायतें सामाजिक अंकेक्षण से छूटी हुई है, उनके कार्य क्षेत्र में कालान्तर में परिवर्तन होकर नवीन ग्राम पंचायतो एवं पंचायत समितियों के गठन हो गये है। अतः जिला स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस प्रकार छूटी हुई ग्राम पंचायतो / पंचायत समितियों के नामों में यदि कोई अंतर हो तो हमारे अधिकारीगण द्वारा इलेट्रोनिक माध्यम से प्रेषित सूचना को दुरूस्त कर अविलंब वापस पठाने की व्यवस्था करें ताकि समय पर (15.2.2022 से पूर्व) नियमित सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर्स जारी किये जाकर ग्रामीण विकास विभाग (MORD), भारत सरकार (GOI) के नरेगा सोफ्ट पोर्टल पर अपलोड करवाया जा सकें।

अतः समस्त जिलों के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सामाजिक अंकेक्षण संबंधी जारी किये गये विभिन्न दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उचित तैयारियॉं यथा– ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन, इनका प्रशिक्षण, सामाजिक अंकेक्षण समितियों का गठन, दीवार लेखन कार्य आदि करवा कर तैयार रखें जिससे कलैण्डर जारी होते ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / 6342-58 जयपुर, दिनांक : 11/02/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वंतत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन / PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
11. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशो के पालनार्थ उचित तैयारियॉ करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
13. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशो के पालनार्थ उचित तैयारियॉ करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
14. उप निदेशक / लेखाधिकारी, (प्रशासन) / लेखाधिकारी (सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त) / कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
15. प्रोग्रामर / सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
16. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
17. रक्षित पत्रावली।

(दुर्गाप्रसाद दायमा)
उप निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)